न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

दावा स. 267/07

1– सरदारसिह पुत्र चन्दनसिह जाति काछी निवासी सिरसोंदा तहसील रूपवास मृतक वादी

1/1–रामप्रसाद ।
1/2–रामकिशन ।पुत्रान सरदारसिह
1/3–गयावती ।
1/4–जमुनावती ।
1/5–गंगावती ।पुत्रियान सरदारसिह
1/6–श्रीमती रामवती बेवा प्रकाशचन्द्र पुत्र सरदारसिह
1/7–रामदुलारी पुत्री प्रकाश पुच सरदारसिह
1/8–श्रीमती शिवदेई पुत्री प्रकाश
1/9– कमलेश ।
1/10–राजनदेई । पुत्री प्रकाश
1/11– कुमारी शशि आयु 15साल पुत्री प्रकाशचन्द्र नाबालिगान जरिये प्राकृतिक बली माता रामवती समस्त जातियान काछी निवासी सिरसोंदा तहसील रूपवास

बनाम

1–गोरधना पिसरान भूरी सिह उर्फ भूरालाल जाति काछी निवासी सिरसोंदा मृतक
1/1– बहादुरसिह पुत्र यादराम जाति काछी निवासी सिरसोंदा तहसील रूपवास
2–यादराम पुत्र भूरी सिह उर्फ भूरालाल जाति कछवाया निवासी सिरसौंदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर
2/1–रामस्वरूप ।
2/2–रामखिलाड़ी ।पुत्रान यादराम
2/3– पार्वती बेवा बाबूपुत्र यादराम
2/4–भीकम पुत्र बाबू आयु 18 साल
2/5– घनश्याम ।पुत्र पुत्रियान बाबू नाबालिगान जरिये कुदरती बली माता पार्वती
2/6–टीकम । वेवा बाबू
2/7–फूलनदेई पुत्री बाबू आयु10साल
2/8– बहादुर पुत्र यादराम
2/9–शंकरिया ।
2/10–सन्तो । पुत्री यादराम जातियान काछी निवासी सिरसौंदा तहसील रूपवास
3– गिरधर पुत्र नारायण जाति ब्रांहम्ण निवासी सिरसोंदा मृतक
4– फुली मृतक ।
5–बत्तीलाल मृतक ।पिसरान हरसुर्ख जाति काछी निवासी सिरसौदा
6–मुरारीलाल मृतक ।
7– वाले पुत्र मुरलीधर मृतक ।
8– कलुआ पुत्र रामहेत मृतक
9– छीतरिया बल्द धनीराम
10– बादाम ।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

11– गोरेलाल ।पिसरान नकटा
12–मंगला पुत्र हीरालाल मृतक
13– भगवानसिह पुत्र हीरालाल
14– मेवाराम पुत्र डालचन्द्र मृतक
15–मूलचन्द्र पुत्र डालचन्द्र
16–गंगादेई बेवा बच्चूसिह
17–छदतू बल्द कन्हैया मृतक

प्रतिवादीगण

समस्त जातियान काछी निवासी सिरसौंदा तहसील रूपवास जिला भरतपूर
18–राजस्थान सरकार तामील जरिये श्रीमान तहसीलदार रूपवास

शोभनार्थ प्रतिवादी

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी.आर.मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित
1–श्री शकरदयाल शर्मा अभिभाषक वादी
2–श्री टीकराम शर्मा अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 13/12/17

सक्षेपतः दावा के तथ्य निम्न प्रकार है । वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188,53 के तहत दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादी के पिता चंन्दन सिह व प्रतिवादी स0 1 व 2 सगे भाई थे । ग्राम रूपवास की आराजी ,खसरा न0 863/1–01,861/3–00,843/0–15,466/3–04,847/1–00,846/1–10,481/1–19,493/1–12,857/0–18,860/1/1–00,859/1–04,860मि0/0–16,495/0–17,498/5–01 कुल किता 14 कुल रकवा 23–02 बीघा से 1/4 भाग व आराजी खसरा न0 838/3–11,845/3–03 बीघा तथा खाता स0 105 की आराजी खसरा न0 479/1–19 बीघा बाके ग्राम रूपवास में सालिम के व ग्राम मई की आराजी खसरा न0 40मिन/4–00, 41/1–09,44/2–15,86/1–14,87/1–17,88/1–10,108/2–17,125/0–08,126/1–06,151मिन/2–00,158मिन/1–00,159मिन/1–00,162/2–17,163/3–10,164/0–12,, 165/6–02,166/5–04,167/0–15,179/0–14,187/0–04,204/1–15,206/2–08, 207/1–12,212/1–15 कुल किता 24 कुल रकवा 47–06 बीघा से सालिम भाग के व आराजी खसरा न0 22मिन/4–10,77/2–06,148/0–15,149/0–07 से दो तिहाई एव आराजी खसरा न0 20/3–18,21/0–07, से निस्फ हिस्सा व खसरा न 0 12/11–10, 15/3–01 में से 1/4 भाग व खसरा न0 186/0–08 व 43मिन/4–00, 127/मिन/3–10,128/3–12,129/1–05,135/9–02,221/1–14 से सालिम भाग के वादी व मूलप्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर को शेयर व खातेदार काश्तकार है । और

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

इसी प्रकार उपरोक्त तमाम आराजी का वादी व प्रतिवादीगण मूलसामिल रूप से काश्त करते चले आ रहे है उपरोक्त विवादित आराजी वादी मूल प्रतिवादीगण की अविभाजित जौइन्ट हौलडिगं है जो कि उनके पिता भूरी सिह उर्फ भूरीलाल की छोडी हुई आराजी है। लेकिन मूल प्रतिवादीगणआपस में मिल गये है। और वादी को उनके एक तिहाई हिस्से की आराजी का समुचित लाभ नही उठाने दे रहे है वादी के साथ अब कुछ दिनो से इस आराजी में काश्त करने में उपयोग उपभोग करने में आये दिल झगड़ा करते रहते है जिस कारण से वादी अव मूल प्रतिवादीगणके साथ सामिल काश्त करना संभव नही रहा गया है। इस बाबत वादी ने मूल प्रतिवादीगण से उक्त आराजी का बटवारा करने को कहा तो दिनांक 15–6–82 को वादी ने कहा तो वादी को फटकार दिया तथा धमकी दी कि हम तो इस आराजी का बटवारा नही करेगें क्योकि उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम हैं तुमसे ज्यादा आराजी है। हम तुमको एक तिहाई आराजी पर काश्त नही करने देगें । और तुमको बेदखल कर देगें । इस बात को सुनकार वादी दंग रह गया । इस बाबत वादी अपने अधिकारो की रक्षा करने हेतु वादी को मूल प्रतिवादीगण के खिलाफ दादरसी डिवीजन ऑ होलडिगं व हुक्त इम्तनाई दवामी के लिये यह दावा लाया जाना आवश्यक हो गया है। राजस्थानराज्य सरकार के खिलाफ कोई दादरसी नही चाही गई है। लैण्ड होल्डर होने के नाते पक्षकार मुकदमा बनाया गया हे। वाद पत्र की मद स0 2 में वर्णित आराजी से खाता स0 22,23,24 व 5 में अन्य शौभनार्थ प्रतिवादीगण वादी व मूल प्रतिवादीगण के साथसाथ सहखातेदार है इससलिये उनको पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। उनके खिलाफ कोइ दादरसी नहीं चाही गई है । मूल प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 15–6–82 को दिये जाने धमकी के कारण वादकरण पैदा हुआ । दावा अन्दर म्याद पेश है।

अतः प्रार्थना हे कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण मूल निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि यह घौषित फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद स0 2 में वर्णित आराजी के वादी व मूल प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर के सहखातदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। उक्त विवादित आराजी जो दावे की मद स0 2 में वर्णित हे वादी व मूल प्रतिवादी के मध्य तीन कुरे मौके पर बनाये जावे । इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे । मूल प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे िकवह विवादित में वादी को एक तिहाई आराजी में काश्त करने व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलम मजाहमत बेंजा न करे ।

दावा दज्र रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी स0 1 व 2 की ओर से उपसिति होकर जबाब पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र की मद स0 1,10,11 स्वीकार है । मद स0 2,3,4,5,6,7,8, जिस प्रकार से वर्णित की गई हैं वह स्वीकार नही है । मद स0 9 कानूनी है। अपने विषेश विवरण में निवेदन किया है कि वादी ने चन्दन क वारिस होने के कारण यह दावा दायर किया है । जब यह दावा चन्दन सि हके समस्त वारिसान की ओर से पेश नही किया गया है। मृतक चन्दनसिह की लड़की मु0 चम्पा मौजूद हे जिसे पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है। अतः दावा इसी बजह से खारिज किये जाने योग्य है। इसी प्रकार धनीराम के सभी वारिसनो को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है। विवादित आराजी में वादी सरदार मूल प्रतिवादीगण के साथ वहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार नहीं है। वादी के साथ चम्पा भी उसमं भगीदार है । आराजी ख ासरा न0 22मिन,77,148,149 बाके ग्राम मई का वादी खातेदार काश्तकार व कासबिज आराजी नहीं है । इनमें प्रतिवादी गौरधना व यादराम

उपखण्डअधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

खातेदार काश्तकार हे। इसी प्रकार खसरा न0 495,498 बाके ग्राम रूपवास में वादी खातेदार काश्तकार नही है। उक्त भूमि में यादराम खातेदार काश्तकार हे । असी प्रकार खसरा न0 12,15 बाके ग्राम मई में वादी खातेदार काश्तकार नही है। वल्कि गोरधना केवल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है । इसी प्रकार खसरा न 189 वाके ग्राम मई का वादी खातेदार काश्तकार नही है। जिसमें गोरधना का न्यायरानूर खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा न0 495 व 498 बाके ग्राम रूपवास में वादी खातेदार काश्तकार नही है। उक्त भूमि का यादराम खातेदार काश्तकार है। खसरा न0 775,849,1005 बाके ग्राम रूपवास में सरदारसिह का 1/4 हिस्सा नही है । ,ासरा न0 846,493,857,860,496,847,481 वाक ग्राम रूपवास वादी खातेदार काश्तकार नही है। इनमें प्रतिवादी गौरधना व यादराम खातेदार काश्तकार है। अन्य लोगा का कोई वास्ता नही है। इसी प्रकार खसरा न0 145 वाके ग्राम रूपवास में भी वादी खातेदार काश्तकार नही है। इसमें प्रतिवादी गौरधना खातेदार हैं इसी प्रकार खसरा 838 वाके ग्राम रूपवास में वादी खातेदार काश्तकार नही है। प्रतिवादी यादराम खातेदार काश्तकार है।

जवाब दावा पेश होने के वाद निम्नाकित तनकियात कायम की गई ।

तनकी न1– आया वाद पत्र की मद स0 1 व 2 में वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण असल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। –

तनकी स02– आया वादी को प्रतिवादीगण असल ने दिनांक 15–6–82 को मौके पर आकर ऐलानियॉ धमकी दी । – वादी

तनकी स0 3 – आया वादी विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कराने का अधिकारी हे। – वादी

तनकी स0 4 आया जबाब दावा की मद स021,22,23 के अनुसार आराजी खसरा न0 846,493,857,860,496,847,481 बाके ग्राम रूपवास क वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी नहीं है। खसरा न0 145 का वादी खातेदार काश्तकार नही है। और नाही उसका कोई हक हैं, प्रतिवादी गौरधना व यादराम खातेदार काश्तकार हे व खसरा न0 836 में वादी ख ातेदार नहीं है वल्कि प्रतिवादी यादराम खातेदार काश्तकार हैं अतः दावा खारिज किये जाने योग्य है । – असल प्रतिवादीगण

तनकी न05– आया जबाब दावा की मद स0 12 व 13 के अनुसार वादी द्वारा चन्दन व धनीराम के सभी वारिसो को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया हैं । अतः दावा इसी विनाय पर खारजि किये जाने योग्य है।

योग्य अभिभाषक जनो की बहस सुनी गई ।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

वादी अभिभाषक द्वारा लिखित बहस सुनी गई जो निम्न प्रकार है। वादपत्र की मद स0 1 व 2 में वर्णित विवादित आराजी जो वादी सरदार व मूल प्रतिवादीगण गौरधन व यादराम की सामिल काश्त की आराजी है। जिसके बावत घौषणा व हक का दावा वादी सरदार की ओर से न्यायालय हाजा में यह कहते हुये पेश किया कि उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के मूल के पिता भूरीसिह उर्फ भूरीलाल की छोड़ी हुई आराजी है। जो विरासत से प्राप्त हुई है। वादी ने दिनांक 15.6.1982 को प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम कराने व आराजी का विभाजन हेतु न्यायालय में दावा पेश किया है। जिसका मूल प्रतिवादीगण ने वादी के दावे को प्रतिवाद करते हुये खारिज करने की प्रार्थना की हे ।

वदी का वादपत्र व प्रतिवादी के उत्तर के वाद के आधार प9र दावे में दिनांक 8.10. 13 को पॉच तनकियात कायम की गई । जिनमें से तनकी स0 1,2,3 वादी को साबित करनी थी व 4 व 5 प्रतिवादी मूल को साबित करनी थी तनकी स0 1 के मुताबिक विवादित आराजी मुन्दजे स0 1 व 2 वाद पत्र के वादी व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार एव9 काबिज आराजी है। यह वादी को साबित करना है। लेकिन तनकी स0 4 के मुताबिक खसरा न0 846,493,857,860,496,847,481 बाके ग्राम रूपवास व 145 व 836 वाके ग्राम रूपवास के वादी खातेदार नही है । यह प्रतिवादी को साबित करना था । चूकि वाद पत्र की तनकी न04 में वर्णित आराजी का वादी खातेदार नहीं है । यह प्रतिवादी के उत्तरवाद के आधार पर तनकी बनाई गई है। अतः जब तक प्रतिवादी तनकी स0 4 को साबित नहीं करते है। तब तक तनकी स0 4 में वर्णित आराजी को वादी खातेदार है । उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर सिफट नही किया जा सकता है। तनकी स0 4 को साबित करने के लिये प्रतिवादी द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि तनकी स0 4 में वर्णित आराजी वक्त दायरी वाद से पूर्व वाई आपरेशन आफ लॉ वैधानिक रूप से वादी व प्रतिवादी असल को प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में स्वय प्रतिवादी डी डब्लू 1 रामखिलाड़ी के मौखिक बयान दिनांक 5–12–14 को जिरह की पाचवी पक्ति पर स्वय प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी भूरीसिह की छोड़ी हुई आराजी है । तथा पृष्ठ स0 1 की अन्तिम 3 लाईन में आराजी का विभाजन कराने में उन्हें कोई ऐतराज नही है । यह स्वय प्रतिवादी का एडमिशन है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत जिस तथ्य को प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया हो उसे वादी को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नही है। क्योकि प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति से मजबूत अन्य कोई साक्ष्य नही हो सकती है । अतः तनकी स0 1 को साबित करने की आवश्यकता नही रहती है । फिर भी जहॉतक तनकी स0 1 के लिये दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न हे खसरा न0 846,493,857,860,496,847,481 बाके ग्राम रूपवास में स्थित आराजी में वादी नकल जमाबन्दी सम्वत 2036–39 प्रदर्श एक के मुताबिक आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जिस बावत उक्त जमाबन्दी को रिवटल करने के लिये कोई अन्य दस्तावेज अथवा जमाबन्दी प्रतिवादी ने प्रेश नही की है। तथा जमाबन्दी सम्वत 2036–39 मे जिस आराजी का इन्द्राज नही है । वह आराजी भी वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमबन्दी सम्वत 2006 व में वादी व प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज होना तथा आराजी पूर्वजो की छोड़ी हुई होना के आधार पर वादी प्रतिवादीगण मूल के समान ही खातेदारी अधिकार रखता हैं अतः वादी द्वारा तनकी स0 1 ग्रम रूपवास की हद तक

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

पूरी तरह दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। जिस तरह ग्राम मई का प्रश्न है नकल जमाबन्दी सम्वत 2034–37 प्रदर्श 2 व सम्वत 2038–41 प्रदर्श 3 के आधार पर तथा प्रदर्श 5,7,8नकल खेवट खतौनी सम्वत 2006 तथा खेवट खतौनी सम्वत 1998 प्रदर्श 6 जिसमें वादी व प्रतिवादी मूल सभी को समान खातेदर बनाया है । सभी को ग्राम मई की जमीन भी पैत्रिक होने के कारण वर्तमान व पूर्व राजस्व में इन्द्राज होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 1समान हक रखता हैं अतः तनकी स0 1 प्रतिवादी स0 1एडमिशन वादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर व हक वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ साबित होती है। जिसके कारण वादी प्रतिवादी स0 1 व 2 के समान ही खातेदारी अधिकारो की घौषणा कराने का अधिकारी है। तथा तनकी स0 1 वादी के पक्ष में साबित होने पर वादी विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कराने का अधिकारी हे । अतः दावा डिकी किया जावे ।

प्रतिवादी वकील द्वारा अपने जबाब को ही बहस में सामिल किया जावे ।

तनकीबार निर्णय निम्न प्रकार है ।

तनकी स01– इस तनकी को साबित करने का दायित्व वादीगण का है। उक्त विवादित आराजी पूर्वजो की छोड़ी हुई अराजी है जिसमें वादीगण व असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड सम्वत 2006 में वादीगण व असल प्रतिवादीगण के नाम अकिंत होना, उक्त विवादित आराजी पूर्वजो की छोडी हुई आराजी होने के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण असल क समान ही खातेदारी अधिकार रखता है । आराजी समावन्दी सम्वत 2036–39 बाके ग्राम रूपवास नकल खतौनी में वादीगण व असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जहॉ तक मई में स्थित आराजी का सवाल है। उसमें सॅम्वत 2006 से वादीगण व उसल प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है व तभी से बहिस्सानुसार काश्त करते चले आ रहे है । यह बात वादी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस में भी अकंन किया है।

प्रतिवादी ने जबाब में कहा है कि वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है। अतः दावा खारिज किया जावे एव उक्त विवादित आराजी अन्य सहखातेदारों को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया हैं ।दावा खारिज किया जावे ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का लिखित बहस का अवलोकन किया उक्त विवादित आराजी भूरीसिह की छोड़ी हुई आराजी है । यह बात नकल जमाबन्दी सम्वत 2006 व नकल खतौनी सम्वत 2.036–39 से यह साबित है। कि उक्त विवादित आराजी वादीगण व असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी न02–इस तनकी को साबित करने का दायित्व वादी का है वादीगण ने इस तनकी को साबित किया है कि प्रतिवादीगण उसल ने वादी को दिनांक 15–6–82 को ऐलानियॉ धमकी बटवारा नही करने की दी । जिस कारण से वादकरण पैदा हुआ है । अतः इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

तनकी स0 3 इस तनकी को साबित करने का दायित्व वादी का है । उक्त विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खाते की आराजी है। जिसके कारण वादी वाई मीठस एण्ड बारण्डस विभाजन करा पाने का अधिकारी है। अतः इस तनकी का निर्णय भी वादी के पक्ष में किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

तनकी न0 4 व 5 इन तनकियात का साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण असल का है। जा इन तनकियात को साबित करने में असफल रहे हैं प्रतिवादीगण असल ने अपन जबाब दावे में वताया है कि वादीगण उक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार एव काबिज आराजी नही है और नाही उनका राजस्व रिकार्ड में अकंन है। अतः ये तनकी प्रतिवादी असल के पक्ष में साबित है।

वादी अभिभाषक की ओर से उक्त तर्को का खण्डन करते हुये तर्क दिया कि वादी ने इन तनकीयो को नकल जमाबन्दी सम्वत 2006 स सम्वत 2036–39 नकल खतौनी में वादीगण व प्रतिवादीगण असल उक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। अतः इन तनकीयो का निर्णय खिलाफ प्रतिवादीगण असल किया जाता है।

समस्त तनकियात का निर्णय किया जाता हैं ।

अतः आदेश है कि दावा वादी विरूद्धअसल प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जाता है कि ,न0863/1–01,861/3–00,843/0–15,466/3–04,847/1–00,846/1–10,481/1–19, 493/1–12,857/0–18,860/1/1–00,859/1–04,860मि0/0–16,495/0–17,498/5 –01 कुल किता 14 कुल रकवा 23–02 बीघा से 1/4 भाग व आराजी खसरा न0 479/1–19 बीघा बाके ग्राम रूपवास में सालिम के व ग्राम मई की आराजी खसरा न0 40मिन/4–00,41/1–09,44/2–15,86/1–14,87/1–17,88/1–10,108/2–17,125/0 –08,126/1–06,151मिन/2–00,158मिन/1–00,159मिन/1–00,162/2–17,163/3–10, 164/0–12,,165/6–02,166/5–04,167/0–15,179/0–14,187/0–04,204/1–15,20 6/2–08,207/1–12,212/1–15 कुल किता 24 कुल रकवा 47–06 बीघा से सालिम भाग के व आराजी खसरा न0 22मिन/4–10,77/2–06,148/0–15,149/0–07 से दो तिहाई एव आराजी खसरा न0 20/3–18,21/0–07, से निस्फ हिस्सा व खसरा न 0 12/11–10,15/3–01 में से 1/4 भाग व खसरा न0 186/0–08 व 43मिन/4–00, 127/मिन/3–10,128/3–12,129/1–05,135/9–02,221/1–14 से सालिम भाग के भूरीसिह के तीनों पुत्रों के वारिसानो को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे । प्रतिवादीगण असल को स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करें ।

जहॉ तक वाई मीटस एण्ड बाउण्डस का सबाल है। पक्षकारों का विरासत का अकंन सही प्रकार से नही होने के कारण वाई मीटस एण्ड बाउण्डस की सहायता नही दी जा सकती है। पक्षकारान अपने अपने विरासत का इन्द्राज करवाने के पश्चात पुनः दावा प्रस्तुत करने पर वाई मीटस एण्ड बाउण्डस की सहायता प्राप्त कर सकते है। पर्चा डिकी कायम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/12/17

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास